इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स (आइसीएसएफ) ट्रस्ट

एसएसएफ दिशानिर्देश पर
प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला
(अंतर्देशीय मात्स्यिकी)

अवधारणा नोट

स्थान: सेवा केंद्र, कोलकाता
दिनांक: 22-24 दिसंबर 2022

I. परिचय

खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी को सुरक्षित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एसएसएफ दिशानिर्देश) को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की मात्स्यिकी समिति (सीओएफआइ) ने जून 2014 में इकतीसवें सत्र में समर्थन दिया था। एसएसएफ दिशानिर्देश का कार्यान्वयन पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए लघु-स्तरीय मात्स्यिकी के योगदान को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जाना जाता है। कार्यान्वयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स (आइसीएसएफ) ट्रस्ट 22 से 24 दिसंबर 2022 तक कोलकाता में प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) का आयोजन कर रहा है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रमुख मछुआरा प्रतिनिधियों के कार्यशाला में भाग लेने की आशा है।

II. संदर्भ

लगभग वर्ष 2000 तक, भारत के कुल मछली उत्पादन में समुद्री मछली उत्पादन का प्रभुत्व था। 2021-22 में भारत में अंतर्देशीय मात्स्यिकी ने कुल 1.473 करोड़ (14.73 मिलियन) मीट्रिक टन के राष्ट्रीय मछली उत्पादन में तीन-चौथाई से अधिक का योगदान दिया। अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र 12.4 लाख (1.24 मिलियन) मछुआरों की आजीविका में भी योगदान देता है। इस तथ्य के बावजूद कि अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र निरपेक्ष रूप से विकसित हुआ है, इसकी क्षमता के संदर्भ में, विशेष रूप से भारत के विशाल अंतर्देशीय जल संसाधन क्षेत्र का उपयोग करने के लिए, अभी भी पूरी तरह से इसका विकास नहीं हो सका है।

अंतर्देशीय मात्स्यिकी और अंतर्देशीय जल निकाय भारतीय संविधान की सूची-II (राज्य सूची, प्रविष्टि 21) के अंतर्गत आते हैं और इसलिए राज्य स्तर पर कानून के अधीन हैं। हालांकि, जब जल संसाधनों पर विवाद की बात आती है तो, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र जैसी सीमा पार नदियाँ संघ सूची के अंतर्गत आती हैं।

अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षरण, जल निकायों तक कम पहुंच, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्राकृतिक और मानव-प्रेरित आपदाओं सहित कई चुनौतियों का समाना कर रहा है। इसके साथ-साथ अलग-थलग वितरण, एक विविध प्रबंधन व्यवस्था और कमजोर शासन व्यवस्था भी मददगार नहीं रहा है।

III. पृष्ठभूमि

अन्य बातों के अलावा, एसएसएफ दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने की मांग करते हैं कि छोटे पैमाने के मछुआरों को मनमाने ढंग से बेदखल न किया जाए और उनके वैध पट्टे के अधिकारों को समाप्त या उनका उल्लंघन न किया जाए (पैरा 5.9)। छोटे पैमाने के मछुआरों की शिकायतों को दूर करने की दिशा में, राज्यों को निष्पक्ष और सक्षम न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच प्रदान करनी है (पैरा 5.11)। बड़े पैमाने के विकास परियोजनाओं के मामले में, एसएसएफ दिशानिर्देश विवाद समाधान के लिए न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावित मछुआरों और मछली मजदूरों को क्षतिपूर्ति, भरपाई और उचित मुआवजे जैसे प्रभावी उपाय प्रदान करने के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं (पैरा 5.11)।

संरक्षित क्षेत्रों और आजीविका विकल्पों के संबंध में, एसएसएफ दिशानिर्देश संरक्षित क्षेत्रों सहित प्रबंधन उपायों के डिजाइन, योजना और कार्यान्वयन में छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान आकर्षित करते हैं (पैरा 5.15)। मात्स्यिकी के मौसमी बंदी से आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए, छोटे पैमाने के मात्स्यिकी में मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा संरक्षण को नियोजित करने का प्रस्ताव किया जाता है (पैरा 6.3)।

एसएसएफ दिशानिर्देश इस बात पर ध्यान देते हैं कि महिलाओं पर विशेष ध्यान सहित समुद्री मछली संसाधनों, छोटे पैमाने के मछली पकड़ने के क्षेत्रों और छोटे पैमाने के मछुआरों, मछली मजदूरों और उनके समुदायों की निकटवर्ती भूमि के लिए पारंपरिक अधिकारों सहित पट्टे के अधिकार कानून के माध्यम से सुरक्षित किए जाएं और उनकी पहचान की जाए, दर्ज की जाए और सम्मान किया जाए। इसी तरह, राज्य को सामूहिक रूप से उपयोग और प्रबंधित किए जाने वाले सार्वजनिक पट्टे वाले संसाधनों को पहचानना और उनकी रक्षा करना है (पैरा 5.6)। इसके अलावा, राज्यों को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पानी में मछली पकड़ने के लिए छोटे पैमाने के मछुआरों को बेहतर पहुंच प्रदान करनी है, और छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के लिए विशेष क्षेत्र बनाना है।

IV. कार्यशाला का उद्देश्य

कार्यशाला संसाधन प्रबंधन और सामाजिक विकास के ढांचे के भीतर छोटे पैमाने मे मछुआरा समुदायों की नीति, कानून, जीवन और आजीविका के संबंध में चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एसएसएफ दिशानिर्देश के साथ जुड़ने के लिए मछुआरों के संगठनों, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और समुदाय-आधारित संगठनों की क्षमता में वृद्धि करेगी।

V. कार्यशाला के लक्ष्य

- एसएसएफ दिशानिर्देशों के अनुरूप, राज्य और स्थानीय स्तर पर पट्टे के लिए जिम्मेदार प्रशासन के माध्यम से अंतर्देशीय मछली संसाधनों और पास की भूमि तक छोटे पैमाने के मछुआरों, मछली मजदूरों और महिलाओं सहित मछुआरा समुदायों की उचित पहुंच से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित करना;
- छोटे पैमाने के मछुआरों और मछली मजदूरों के जीवन और आजीविका के संबंध में मौजूदा योजनाओं और हकदारी को समझना; और
- छोटे पैमाने के मछुआरों और मछली मजदूरों से संबंधित नीतियों के निहितार्थों पर चर्चा करना (उदाहरण के लिए राष्ट्रीय मत्स्य नीति, 2020 और अंतर्देशीय मात्स्यिकी पर राज्य स्तरीय कानून)।

VI. प्रक्रिया/ कार्य पद्धति

टीओटी कार्यशाला (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) के लिए संसाधनों का विकास मछुआरों के संगठनों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद किया जाता है। प्रशिक्षकों को उनकी चिंताओं को दूर करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास और समूह कार्य की योजना बनाई गई है। प्रत्येक विषय का परिचय और व्याख्या करने के लिए पृष्ठभूमि दस्तावेज़ और पावर पॉइंट प्रस्तुतियाँ साझा की जानी हैं। टीओटी कार्यशाला (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) के बाद प्रशिक्षित प्रतिभागियों के नेतृत्व में भारत के कई राज्यों में एक दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

7. अपेक्षित परिणाम

एसएसएफ दिशानिर्देश के कार्यान्वयन के संदर्भ में सतत लघु-स्तरीय मात्स्यिकी को सुरक्षित करने में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए अंतर्देशीय मछुआरा समुदायों की क्षमता मजबूत होना।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
निवेदिता श्रीधर
आईसीएसएफ ट्रस्ट, पहली मंजिल, 22
वेंकटराथिनम नगर, अडयार
चेन्नई 600020
ई-मेल: icsf@icsf.net
टेलीफोन: 044-24451216